



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र 1944 (श10)
(सं0 पटना 631) पटना, सोमवार, 29 अगस्त 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 अगस्त 2022

एस० ओ० 171. दिनांक 29 अगस्त 2022—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 44 के पहले परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2021-22 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करते हैं।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-15)2340)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

29 अगस्त 2022

एस० ओ० 171. दिनांक 29 अगस्त 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-15) 2340)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 29th August 2022

S.O. 171, Dated 29th August 2022— In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 44 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2021-22 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-15) 2340)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 631-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

IndiaCode